# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी–सुभाष कुमार आर.ए.एस

मु0नं0:–85/2018

1. प्रेमराज पुत्र श्री मुन्शीराम जाति कुम्हार निवासी 16,17 के.एन.एन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रामचन्द्र पुत्र श्री मुन्शीराम जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

बनाम ––वादीगण––

1. श्री मुन्शीराम पुत्र मोमनराम जाति कुम्हार निवासी 16,17 के.एन.एन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।

––प्रतिवादीगण––

**अन्तर्गत धारा :–53,88,91,92ए आरटीए**

**निर्णय** दिनांकः– 27/3/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण सं0 1 ता 2 एवं प्रतिवादी सं 01 मुन्शीराम पुत्र मोमनराम के नाम से तहसील पदमपुर के चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 29/26 के मुरबा नं0 11 में किला नं0 13/2 में 0.63 है0 14 ता 19 प्रत्येक में 0.253 कुल 1.581 है0 बारानी व मुरबा नं0 19 में किला नं0 7/2 में 0.190 है0 9 ता 12 प्रत्येक में 0.253, 13/1 में 0.126 बारानी कुल 1.581 है0 खाता का कुल योग 3.162 है0 बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 सलग्न वाद पत्र है। वाद गत अराजी भूमि प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के नाम से है यह समस्त बारानी भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम को जरीए रजिस्र्ड वसीयत वादीगण के दादा मोमनराम से प्राप्त हुई है चूकि वादगत सम्पति प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है परन्तुं वादीगण ने अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 को जिला हनुमान की तहसील टिब्बी के चक 18 के एनएन की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के पत्थर नं0 295/376 के खाता सं0 84/72 के मुरबा नं0 37 के किला नम्बर 8 व 9 सालम प्रत्येक 0.253 है0 बारानी 11 ता 13, 18 ता 22 प्रत्येक में 0.253 है0 23/1 में 0.025 है0 नहरी कुल 2.049 है0 नहरी/ बारानी जमीन खरीद करके वादीगण ने अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम करवाई हुई है। जो कि राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है। वाद गत अराजी भूमि व टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ की आराजी भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य काफी समय से घरेलू मौखिक बंटवारा हुआ है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी अपने हिस्सा अनुसार अपनी अपनी आराजी भूमि पर काबिज है घरू मौखिक बंटवारानुसार वादी सं0 1 प्रेमराज के कब्जा काश्त में निम्न आराजी भूमि है।

वादी सं0 प्रेमराज पुत्र मुन्शीराम के कब्जा काश्त में तहसील पदमपुर की चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 29/26 के मुरबा नं0 11 में किला नं0 13/2 है0 0.063 है0 14,15,16,17,18,19 प्रत्येक में 0.253 कुल 1.581 है0 बारानी,

Scanned with CamScanner

(ख)वादी सं0 2 रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम के कब्जा काश्त में तहसील पदमपुर की चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 29/26 के मुरबा नं0 19 के किला नं0 7/2 में 0.190 है0 8,9,10,11,12 प्रत्येक में 0.253, 13/1 में 0.126 है0 कुल 1.581 है0 बारानी, इस प्रकार हम वादीगण की कब्जा काश्त उक्त अनुसार है तथा जिला हनुमानगढ की तहसील टिब्बी के चक 18 के एन एन की जमाबन्दी सं0 2072 से 2075 के पत्थर नम्बर 295/376 के खाता सं0 84/72 के मुरबा नं0 37 के किला नं0 प्रत्येक 0.253 है0 बारानी 11 ता 13,18 ता 22 प्रत्येक में 0.253 है0 23/1 में 0.025 है0 नहरी कुल 2.049 है0 नहरी/बारानी प्रतिवादी सं0 1 को घरू बंटवारा में आयी हुई जो कि प्रतिवादी सं0 1 के कब्जा काश्त में है अर्थात चक चिट्ठा की आराजी भूमि पर वादीगण की तथा चक 18 के एन एन की आराजी भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 की कब्जा काश्त है। वादगत आराजी भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 की अपने हिस्सानुसार अपने अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त है। वादीगण ने अपने कब्जा काश्त की आराजी भूमि को खाद बीज डालकर मेहनत करके समतल करके सुधार किया तथा उपजाउ शक्ति का बढाया है जबकि अब प्रतिवादी सं0 1 की बद नीयत हो गई तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम होने की आड़ में वादीगण की कब्जा काश्त की आराजी भूमि पर जबरदस्ती काबिज होना चाहता है प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण को ऐलानियां धमकिया दी है कि वादीगण की कब्जा हो वादीगण को ना पूरे होने वाला नुकसान होगा प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन को लेकर तनाव बना हुआ है तथा मुश्तर्का खाता होने से वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी भारी परेशानी आती है। इसलिये वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के खिलाफ विभाजन की इस आशय की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि घरू मौखिक बंटवारा अनुसार अपनी कब्जा काश्त अनुसार विभाजन का हल्का पटवारी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर किला वाईज विभाजन की डिक्री पारित की जावें तथा प्रतिवादी सं0 1 के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञाया प्राप्त करने के अधिकारी है। कि प्रतिवादी सं0 1 वादगत आराजी भूमि मुशतर्का खाता की होने का फायदा उठाकर वादीगण के कब्जा काश्त के बीधों में किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने व जबरदस्ती कब्जा करवाने से तथा मुशतर्का खाता की आराजी भूमि का बिना विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को अपनी आराजी भूमि बैचान करने व वादीगण की कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने से बाज व ममनू रहें। वादीगण ने प्रतिवादीगण को आज से सात रोज पूर्व मुताबिक घरू मौखिक बंटवारानामा एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करने को कहा तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गये यही वाद कारण है। वादगत आराजी भूमि मे से (क) वादी सं0 1 प्रेमराज पुत्र मुन्शीराम के कब्जा काश्त में तहसील पदमपुर की चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 29/26 के मुरबा नं0 11 में किला नं0 13/2 में 0.063 है0 14,15,16,17,18,19 प्रत्येक में 0.253 कुल 1.581 है0 बारानी, जिस पर वादी सं0 1 की कब्जा काश्त है का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादी के पक्ष में किला वाईज विभाजन की डिक्री पारित की जावें तथा वादी को अलग खाता का हकदार मालिक घोषित किया जावें (ख) वादी सं0 2 रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम के कब्जा काश्त तहसील पदमपुर की चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 29/26 के मुरबा नं0 19 के किला नं0 7/2 में 0.190 है0 8,9,10,11,12 प्रत्येक में 0.253, 13/1 में 0.126 है0 कुल 1.581 है0 बारानी, जिस पर वादी सं0 2 की कब्जा काश्त है का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादी के पक्ष में किला वाईज विभाजन की डिक्री पारित की जावें तथा वादीगण को अलग खाता का खातेदार मालिक घोषित किया जावें (ग) प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञाया की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण की कोई भी दखलन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे तथा

Scanned with CamScanner

तिवादी सं0 1 वाद गत आराजी भूमि का बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी अजनबी
ख्स को किला वाईज बैचान करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति
पूर्ण रखें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया
या। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आया जवाबदावा सहमति मय राजीनामा
ा निवेदन किया है कि वाद पत्र की मद सं0 1 स्वीकार है व वाद पत्र की मद सं0 2 व 3
जस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। वाद पत्र की मद सं0 4 में वर्णित तथ्य कि जिला
ुमानगढ तहसील टिब्बी के चक 18 के एनएन की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के
ुबर नं0 295/376 के खाता सं0 84/72 के मुरबा नं0 37 के किला नम्बर 8 व 9 सालम
ो चेक 0.253 है0 बारानी 11 ता 13, 18 ता 22 प्रत्येक में 0.253 है0 23/1 में 0.025 है0
हरी कुल 2.049 है0 नहरी/ बारानी जमीन मुझ प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम पुत्र मोमनराम के
ाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर मुझ प्रतिवादी सं0 1 की कब्जा काश्त है यह आराजी
ूमि मुझ प्रतिवादी सं0 1 को मोखिक घरू बंटवारा में आयी हुई है। इसके अलावा मुझ
तिवादी सं0 1 के नाम से जिला श्रीगंगानगर तहसील पदमपुर के चक चिट्ठा की जमाबन्दी
म्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 29/26 के मुरबा नं0 11 में किला नं0 13/2 में 0.063
है0 14,15,16,17,18,19 प्रत्येक में 0.253 कुल 1.581 है0 बारानी, व मुरबा नं0 19 के किला नं0
7/2 में 0.190 है0 8,9,10,11,12 प्रत्येक में 0.253, 13/1 में 0.126 है0 कुल 1.581 है0
रानी, खाता का कुल योग 3.162 है0 बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है तथा
दगत आराजी भूमि हिन्दुखान दान की सयुंक्त परिवार की पैतृक सम्पति होना स्वीकार है।
िसमें वादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 1 का उक्त समस्त आराजी भूमि में 1/3,
/3 विरास्तान हिस्सा बनता है। मौखिक घरू बंटवारानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का
म्न प्रकार बंटवारा व कब्जा काश्त है। (क)वादी सं0 प्रेमराज पुत्र मुन्शीराम के कब्जा काश्त
ं तहसील पदमपुर की चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0
3/26 के मुरबा नं0 11 में किला नं0 13/2 में 0.063 है0 14,15,16,17,18,19 प्रत्येक में 0.
53 कुल 1.581 है0 बारानी भूमि, (ख) वादी सं0 2 रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम के कब्जा काश्त में
हसील पदमपुर की चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 29/26
के मुरबा नं0 19 के किला नं0 7/2 में 0.190 है0 8,9,10,11,12 प्रत्येक में 0.253, 13/1 में 0.
26 है0 कुल 1.581 है0 बारानी भूमि उक्त कब्जा काश्त व राजीनामा के आधार पर वाद पत्र
डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी सं0 1 को कोई उजर व एतराज नही हैं प्रतिवादी सं0
के नाम से तहसील पदमपुर के चक चिट्ठा की आराजी भूमि का वादीगण सं0 1 व 2 का
हिस्सा बराबर–बराबर एवंम किला वाईज मालिक घोषित किया जाकर वाद पत्र डिकी किया
ाता है। तो प्रतिवादी सं0 1 पूर्ण रूप से सहमत है।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया राजीनामा तस्दीक किया
या। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हम पक्षकारान का राजीनामा हो गया है।
जीनामा के आधार पर वादगत आराजी भूमि चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से
073 के खाता सं0 29/26 के मुरबा नं0 11 में किला नं0 13/2 में 0.063 है0
4,15,16,17,18,19 प्रत्येक में 0.253 कुल 1.581 है0 बारानी, व मुरबा नं0 19 के किला नं0
7/2 में 0.190 है0 8,9,10,11,12 प्रत्येक में 0.253, 13/1 में 0.126 है0 कुल 1.581 है0
रानी, खाता का कुल योग 3.162 है0 बारानी भूमि प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम पुत्र श्री
मनराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें से वादी सं0 1 प्रेमराज पुत्र मुन्शीराम के
ाम तहसील पदमपुर के चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0
3/26 के मुरबा नं0 11 में किला नं0 13/2 में 0.063 है0 14,15,16,17,18,19 प्रत्येक में 0.
वादी सं0 2 रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम को मुरबा नं0 19 के
त्येक में 0.253, 13/1 में 0.126 है0 कुल 1.581

Scanned with CamScanner

0 बारानी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाकर इसी अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जाता है। तो मुझ प्रतिवादी सं0 1 को कोई उजर व एतराज नही है। मै पूर्ण रूप से सहमत हूं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व राजीनामा का अवलोकन उपरांत पाया कि राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिग्री किया जावें। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है। वादी सं0 1 प्रेमराज पुत्र मुन्शीराम के नाम तहसील पदमपुर के चक चिट्ठा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं0 29/26 के मुरबा नं0 11 में किला नं0 13/2 में 0.063 है0 14,15,16,17,18,19 प्रत्येक में 0.253 कुल 1.581 है0 बारानी भूमि, वादी सं0 2 रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम को मुरबा नं0 19 के किला नं0 7/2 में 0.190 है0 8,9,10,11,12 प्रत्येक में 0.253, 13/1 में 0.126 है0 कुल 1.581 है0 बारानी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी होवें।

निर्णय आज दिनांक 22/03/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

Scanned with CamScanner